

प्रेषक,

पी०के०यात्रो,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख बन संस्कारक/नोडल अधिकारी,
बन भूमि हस्तान्तरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुयायी-४

विषय: जानवद रुद्रप्रकाश में सुजीर बैष्ण द्वारा चौकी बर्सिल एवं सुजीर बैष्ण-चौकी बर्सिल से तामिल-सातोराखाल मोटर मार्ग के विस्तार हेतु ०.५५ हेक्टेक्स द्वारा भूमि का निर्माण विकास को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2777/FP/UK/ROAD/9719/2015, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल जनपद रुद्रप्रकाश में सुजीर बैष्ण से चौकी बर्सिल एवं सुजीर बैष्ण-चौकी बर्सिल से तामिल-सातोराखाल मोटर मार्ग के विस्तार हेतु ०.५५ हेक्टेक्स द्वारा भूमि का तोक निर्माण विकास को प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्थीरता, भारत सरकार, पर्यावरण एवं बन मंत्रालय के पत्र संख्या एफ०त०-११-०९/९८-एफ० सी० दिनांक 07 नवम्बर, 2014 में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अद्वैतिक शार्तों/प्रतिवर्त्यों के अधीन प्रदान करते हैं-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्याविल रथल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार निर्धारित वृक्षों का वृक्षारोपण एवं १० वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समानित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण इस आवश्य का वष्टवद्वारा प्रस्तुत करेंगे कि सकाम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो वही हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
3. भारत सरकार पत्र सं० ५-३/२००७-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकारण के लेखा सं०-एस०वी०-२५२२९ कार्पोरेशन बैष्ण (भारत सरकार का उपकरण), ब्लाक-११ भूतल सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, फैज-१, सोनीपुर, नई दिल्ली-११०००३ में जमा की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा या० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (लिविल) २०२/१९९५ के अंतर्गत आईएएस०-४४६ एवं भारत सरकार पत्र सं० ५-३/२००७-एफ०सी० दिनांक ०५.०२.२००९ के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकारण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैक (भारत सरकार का उपकरण), ब्लाक-११ भूतल सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, फैज-१, लोधी रोड, नई दिल्ली-११०००३ में जमा करने के उपरांत ही पावती की जायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की लायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुयालन आव्याप्ति (जिसमें जमा की गई धनराशि का मददार विवरण अर्थात् एन०पी०वी०, वित्तीय वृक्षारोपण

- प्रस्तावित स्थल के आम-पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जामा धनराशि का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्भत स्वीकृति माप्य होगी।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यालय की संस्थानियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
 6. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दन अधिकार अधिनियम, 2006 में उल्लिखित दिशा-निर्देशानुसार आवश्यक अधिसेक्ष/प्रमाण एवं प्रस्तुत करने होंगे।
 7. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं दन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
 8. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में छिकित्स स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,

(प्रियंका अमौरा)

अपर सचिव।

संख्या: 212-1/ X-4/15/1(102)/2013, तदाविभागित्।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यालय हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख दन संस्कार (केन्द्रीय), शास्त सरकार, पर्यावरण एवं दन मंत्रालय, केन्द्रीय कार्यालय, एफआरआई, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. दन संस्कार गठबाल बृत्त, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, राज्यप्रयाग।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, राज्यप्रयाग दन प्रभाग, राज्यप्रयाग।
6. अधिकारी अधिकारी, ग्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, राज्यप्रयाग।
7. गार्ड फाईस।

आज्ञा से,

(रघुनंदन सिंह)

उप सचिव।